



एस टी डी/STD 05278

V.C. 246223, 246330 (O)

V.C. 246224, 245209 (R)

फैक्स/Fax V.C.246330(O), 245209(R)

Registrar-245957(O), 246042(R)

Examination of Controller: 245910 (O)

F.O.-246386(O)

# डॉ० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद(उ०प्र०)

## DR. RAM MANOHAR LOHIA AVADH UNIVERSITY, FAIZABAD(U.P.)

पत्रांक/Ref: लो०अ०वि०/ गोपनीय १०१७/2018

दिनांक/Date: १-८-२०१८

### अधिसूचना

एतद्वारा समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों/संस्थानों (समस्त पाठ्यक्रम) को सूचित किया जाता है कि सम्बन्धित विषय (बी०बी०ए०/बी०सी०ए०/विधि-2018 एवं मेडिकल/पैरामेडिकल/नर्सिंग-2017 सप्लीमेन्ट्री) की प्रायोगिक/मौखिकी परीक्षा सम्पन्न कराये जाने हेतु बाह्य परीक्षकों के साथ-साथ आन्तरिक परीक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय द्वारा की जानी है।

अतः आदेशानुसार अनुरोध है कि महाविद्यालय को उक्त सम्बन्धित पाठ्यक्रम/विषय में विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित एवं अद्यतन कार्यरत शिक्षकों की सूची (अनुमोदन तिथि एवं कार्यभार ग्रहण तिथि सहित) पत्र निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह में विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिसके आधार पर प्रायोगिक/मौखिकी परीक्षा के सम्पादनार्थ परीक्षकों (आन्तरिक/बाह्य) की सूची आपको यथासमय उपलब्ध करायी जा सके। आन्तरिक परीक्षकों की प्रस्तावित सूची (नाम) भेजते समय निश्चित रूप से यह भी ध्यान रखा जाए कि जो प्राध्यापक नियमित/अनुमोदित हों तथा तीन वर्ष का अनुभव सम्बन्धित विषय में रखते हुए अद्यतन कार्यरत हों, उन्हीं की सूची (नाम) प्रस्तावित किया जाय। अनुमोदित प्राध्यापकों, जिनका नाम सूची में अंकित किया गया हो, उनका प्रमाणित अनुमोदन पत्र, पैन नम्बर एवं करेन्ट न्यूनतम 06 माह का वेतन भुगतान बैंक स्टेटमेन्ट तथा आधार कार्ड की प्रमाणित छाया प्रति निश्चित रूप से संलग्न किया जाय। अनुमोदन पत्र, बैंकिंग वेतन-विवरण, पैन नम्बर एवं आधार कार्ड की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न न होने की स्थिति में सम्बन्धित प्राध्यापक को परीक्षक नियुक्त किया जाना सम्भव नहीं होगा तथा विश्वविद्यालय अपने स्तर से आन्तरिक परीक्षक नियुक्त करने हेतु स्वतंत्र होगा।

उपरोक्त विवरण समयान्तर्गत प्रस्तुत न करने की स्थिति में प्रायोगिक परीक्षा में विलम्ब होने तथा परीक्षा परिणाम विलम्बित होने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व महाविद्यालय/संस्थान का होगा।

परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्राचार्य/प्राचार्या, विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त बी०बी०ए०/बी०सी०ए०/विधि/मेडिकल/पैरामेडिकल/नर्सिंग महाविद्यालयों/संस्थानों को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त समयान्तर्गत अनुपालन सुनिश्चित करें।
2. उप कुलसचिव (गोपनीय/परीक्षा)।
3. प्रोग्रामर, ई०डी०पी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को विश्वविद्यालयीय वेबसाइट पर अपलोड करने के साथ-साथ सम्बन्धित महाविद्यालयों/संस्थानों के कालेज लागिन पर अपलोड करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
4. निजी सचिव कुलपति, कुलपति महोदय के सूचनार्थ।

परीक्षा नियंत्रक

